**विजयवर्गीय (वैश्य)राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि0**
**रजिस्ट्रेशन नं. 510/एल.सी./2006**
**<u>आवेदक की सुविधा हेतु संस्था का परिचय</u>**

| | |
|---|---|
| | **नाम** |
| 1 | समिति का नाम **विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि., जयपुर** होगा जिसे आगे "समिति" कहा गया है। |
| | **पता** |
| 2 | समिति का पंजीकृत कार्यालय–547, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर M-9610780551,9460061310 |
| | **पंजीकृत** |
| 3 | हॉ, रजिस्ट्रेशन नं. 510/एल.सी./2006 |
| | **कार्यक्षेत्र** |
| 4 | समिति का कार्यक्षेत्र विजयवर्गीय(वैश्य)राजसेवक परिषद, जयपुर के सदस्यों तक सीमित होगा। |
| | **उद्देश्य** |
| 5 | सदस्यों क आर्थिक हितों को सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार बढावा देने हेतु समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–<br>क– सदस्यों में बचत ,स्वयं सहायता एवं सहकारिता को बढावा देना<br>ख– सदस्यों को उचित दरों पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु फण्ड्स एकत्रित करना/निर्मित करना।<br>ग:– सदस्यों को उचित दरों पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराना<br>घ :–सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं पूर्ति हेतु वस्तुओं का क्रय विक्रय करना<br>ङ– अन्य ऐसे कार्य करना जो सदस्यों को सामाजिक नैतिक एवं आर्थिक दशा की उन्नति में सहायक हो एवं जो राजस्थान सहाकारी संस्था अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत हो । |
| | **सदस्यता** |
| 6 | प्रत्येक व्यक्ति जो विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद जयपुर का सदस्य हो, पति/पत्नि अथवा दोनों इस समिति के सदस्य हो सकते है :–<br>1. सदस्यता शुल्क – `10/-<br>2. हिस्सा राशि(न्यूनतम एक हिस्से की राशि) –`100/-<br>3. कम्पलसरी अमानत राशि प्रथम माह की किश्त –`200/-<br>4. प्रत्येक सदस्य द्वारा कम्पलसरी अमानत राशि –`200/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक लगातार प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा कराया जाना आवश्यक है। विलम्ब होने पर `10/- प्रतिमाह प्रति किश्त विलंब शुल्क अलग से जमा कराना होगा। सदस्य चाहे तो यह अमानत राशि एक मुश्त `2000/-भी जमा करा सकते हैं। यह अमानत राशि 3 वर्ष तक समिति के पास जमा रहेगी जिस पर समिति द्वारा ब्याज दिया जावेगा। |
| | **समिति के फण्ड्स** |
| 7 | समिति द्वारा निम्न प्रकार से संसाधन एकत्रित कर सकेगी –<br>क– सदस्यों से प्रवेश शुल्क एवं हिस्सा पूंजी प्राप्त करके<br>ख– सदस्यों से कम्पलसरी अमानतें प्राप्त करके<br>ग– अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके<br>घ– सुरक्षित तथा अन्य कोष<br>ड.–लाभ तथा अन्य शुल्क<br>च– सरकार से अनुदान, ग्रान्ट, डोनेशन प्राप्त करके एवं अन्य साधनों से |
| | **हिस्सा पूंजी** |
| 8<br><br><br>9 | समिति की कुल हिस्सा पूंजी `20.00लाख होगी जो कुल 20,000 हिस्सों में विभाजित होगी। समिति का एक हिस्सा `100/- का होगा। समिति का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम एक हिस्सा क्रय करना आवश्यक होगा।<br>समिति द्वारा आवंटित हिस्से ही क्रय कर सकेगा। |
| | **अमानतें** |
| 10<br>11<br><br><br>12<br><br>13 | समिति की प्रबन्धकारिणी समिति सदस्यों से कम्पलसरी अमानते/रेकरिंग/मियादी अमानतें प्राप्त करने हेतु योजना बनाने, ब्याज दरें तय करने एवं आवश्यक नियम बनाने आदि के लिऐ सक्षम होगी।<br>प्रारंभ में समिति के संसाधनों में वृद्धि हेतु प्रत्येंक सदस्य `200 प्रतिमाह दस माह तक समिति कोषाध्यक्ष को कम्पलसरी अमानत के रूप में जमा करवायेंगा। प्रथम किस्त सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्र के साथ जमा करानी होगी। यह राशि समिति के पास तीन वर्ष तक जमा रहेगी। इस राशि पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित दर से ब्याज दिया जायेगा।<br>यदि कोई सदस्य को उक्त कम्पलसरी अमानत राशि प्रत्येक माह की दस तारीख तक जमा नहीं कराता है तो उसे 10/– रूपये विलम्ब शुल्क प्रत्येक किस्त के हिसाब से प्रति माह देने होगे।<br>प्रत्येक सदस्य को कम्पलसरी अमानता की दस माह की राशि एक मुश्त जमा कराने की स्वतंत्रता होगी।<br>प्रबन्धकारिणी समिति सदस्यों से मियादी अमानतें एवं रेकरिंग अमानते प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगी। अमानतें पर ब्याज का भुगतान 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से अर्द्ववार्षिक आधार पर किया जावेगा। ब्याज दरों में आवश्यतानुसार समय–समय पर परिर्वतन का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को होगा। |
| | **फण्ड्स मैनेजमेंट** |
| 14<br><br><br>15<br><br>16 | समिति के नाम से बचत खाता किसी वाणिज्यिक/सहकारी बैंक में खोला जावेगा जिसमें समिति को प्राप्त होने वाली समस्त राशियॉ जमा करायी जावेंगी। बचत खाते में चैक द्वारा समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव में से किसी एक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकाली जा सकेगी।<br>समिति के पास उपलब्ध कोषों का उपयोग प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा समिति के उद्वेश्यों की पूर्ति के कार्यो मे किया जावेगा साथ ही सरप्लस फण्ड्स को लाभदायक स्त्रोंतों में विनियोग का अधिकार भी प्रबन्धकारिणी को होगा।<br>समिति के सदस्यों को ऋण स्वीकृत करने व ऋण वितरण करने, ब्याज की वसूली करने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को होगा। |

| | |
|---|---|
| | **ऋण** |
| 17 | प्रत्येक सदस्य जिसे ऋण लेने की आवश्यकता हो अपना प्रार्थना पत्र मय रू.10 शुल्क के कोषाध्यक्ष को देना होगा। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी व जमानतदार के हस्ताक्षर होगे जिसे कोषाध्यक्ष द्वारा ऋण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। |
| 18 | ऋण सामान्यतः पहले आओ पाओ, के आधार पर स्वीकृत किया जावेगा, परन्तु सदस्य की स्वंय अथवा परिवार सदस्य की बीमारी या पुत्री की शादी या अन्य विशेष कार्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृति का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को होगा। |
| 19 | राशि की उपलब्धता पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा सदस्य की जमा हिस्सा राशि के 8 गुना तक ऋण स्वीकृत किया जावेगा। जिसकी अधिकतम सीमा ` 72000/– होगी। |
| 20 | सदस्य द्वारा ऋण की अदायगी अधिकतम 24 बराबर किश्तों में करनी होगी जो प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करानी आवश्यक होगी। |
| 21 | सदस्य द्वारा किश्त की अदायगी देय तिथि तक करने में चूक करने पर प्रत्येक किस्त पर तीन रूपयें प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष विलम्ब शुल्क जमा कराना होगा। दो किस्त की चूक हो जाने पर समिति के पदाधिकारी सदस्य से राशि जमा कराने का आग्रह करने हेतु सदस्य के निवास पर पहुंच सकेंगे। |
| 22 | ऋण की शर्तो में परिवर्तन करने एवं ब्याज दरों के निर्धारिण का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को होगा। |
| 23 | ऋण की सुरक्षा मे दों सदस्यों की व्यक्तिगत जमानत ली जावेगी। प्रत्येक सदस्य का ऋण एवं जमानत दायित्व 144000 से अधिक नही होगा। |
| 24 | ऋण पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जावेगा जो प्रतिमाह ऋण की किश्त के साथ जमा कराना होगा एवं प्रति माह मूल बकाया कम होने के साथ ही कम होता जावेगा। उदाहरणार्थ 72000 रू.पर प्रथम माह में 600 रू. दूसरे माह में 575 रू. एवं तीसरे माह में 550रू. आदि आदि। |
| 25 | ऋण पर ब्याज दर में समय समय पर परिवर्तन करने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को होगा। |
| | **प्रबन्ध व्यवस्था** |
| | **साधारण सभा** |
| 26 | अ–समिति के कार्य संचालन के सर्वाधिकार साधारण सभा को प्राप्त होंगे। |
| 27 | ब–साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार 30 सितम्बर से पूर्व सचिव द्वारा बुलायी जानी आवश्यक होगी। वर्ष में अन्य बुलायी गयी बैठक विशेष अधिवेशन माना जावेगा। |
| 28 | समस्त सभाओं में अध्यक्ष सभापति का कार्य करेंगे। विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के अध्यक्ष इस समिति का एक्स आफिसियों अध्यक्ष होगे। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, दोनो की अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्यों द्वारा बहुमत से चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। |
| | **प्रबन्धकारिणी समिति** |
| 29 | समिति की प्रबन्ध व्यवस्था एक प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा की जावेगी जिसके निम्नानुसार 11 सदस्य होगे–<br>1 पदेन (एक्स–आफिशिओ) अध्यक्ष<br>2 उपाध्यक्ष<br>3 सचिव<br>4 कोषाध्यक्ष एवं अन्य 7 चुने गये सदस्य। |
| 30 | प्रबन्धकारिणी समिति के उपरोक्त सदस्यों (पदेन अध्यक्ष के अलावा) को समिति की वार्षिक साधारण सभा में दो वर्ष के लिये चुना जावेगा। यदि दों वर्ष की अवधि में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति शेष सदस्य कर सकेंगे। प्रत्येक दो वर्ष में वार्षिक साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी के इन सदस्यों का चुनाव किया जावेगा। |
| 31 | प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक जब–जब आवश्यता हो, बुलाई जावेगी और महीने में कम से कम एक बार निश्चित तारीख पर अवश्य हुआ करेगी। |

**विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि0**
**547,महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर**
**रजिस्ट्रेशन नं.510/एल.सी./2006**
**दूरभाष संख्या : 9610780551/9460061310**

**आवेदक का फोटो**

## सदस्यता हेतु आवेदन–पत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | आवेदक का नाम | : | |
| 2 | पिता/पति का नाम | : | |
| 3 | उम्र | : | |
| 4 | शैक्षणिक योग्यता | : | |
| 5 | जाति | : | |
| 6 | निवास का स्थायी पता | : | |
| 7 | निवास का वर्तमान पता | : | |
| 8 | नोमिनी (उत्तराधिकारी) का नाम | : | |
| 9 | नोमिनी से आवेदक का संबंध | : | |
| 10 | सम्पर्क नं.<br>(I) दूरभाष नं.<br>(II) मोबाईल नं<br>(III) E-Mail I.D. | :<br>:<br>:<br>: | |

## सत्यापन

मैं पुत्र/पत्नि श्री निवासी विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि0, जयपुर का सदस्य बनना चाहता हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त सदस्यता से संबंधित कर्तव्य एवं दायित्वों को स्वीकार करने को सहमत हूँ एवं मैं राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम–2001 एवं राजस्थान सहकारी समिति नियम, 2003 के प्रावधानों, समिति के उपनियमों के प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी होने वाले संबंधित आदेशों एवं निर्देशें से बाध्य रहूँगा/रहूँगी। समिति का सदस्य बनने हेतु रूपये 10/- सदस्यता फीस, रूपये 100/-हिस्सा राशि एवं कंपलसरी अमानत रूपये 200/2000 की राशि आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

स्थानः आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक
स्थान

श्री पुत्र श्री को समिति की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक में सदस्य बनाया जाना स्वीकार किया गया।

**सचिव**

## <u>विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि0, जयपुर से ऋण हेतु आवेदन पत्र</u>

सेवा में,
श्रीमान् सचिव महोदय,
विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि0
जयपुर

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर का सदस्य है। मुझे ..........................................................(कार्य) हेतु ऋण की आवश्यकता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में रू............................(अक्षरे रू.........................................) का ऋण स्वीकृत करने का कष्ट करें। इस ऋण का चुकारा में मय ब्याज के .............माह (अधिकतम अवधि 24 माह) में मासिक किश्तों में कर दूँगा/दूँगी। इस ऋण के क्रम में मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ :–

1. ऋण प्राप्ति रसीद
2. मांग वचन पत्र
3. प्रतिज्ञा पत्र
4. प्रत्याभूति –पत्र (Letter of Guarantee)
5. वेतन स्लिप या आय की घोषणा
6. ECS Certified from Bank

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि समिति की वर्तमान एवं भविष्य में परिवर्तित समस्त शर्तें मुझे स्वीकार्य है।

**( हस्ताक्षर आवेदक)**

**नाम**

**पिता/पति का नाम**

**पता**

---

### <u>रसीद</u>

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि0, जयपुर द्वारा मुझे स्वीकृत ऋण के रू...............................(**अक्षरे** रू............................ ...........................................) प्राप्त कर यह रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे।

स्थान :
दिनांक :

(ऋणी के हस्ताक्षर)

**नाम**

**पिता/पति का नाम**

---

### <u>मांग वचन–पत्र</u>

मैं.................................................................. विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि0, जयपुर से प्राप्त ऋण राशि के फलस्वरूप उक्त समिति की मांग पर रू.............................(**अक्षरे** रू.........................................................................) मय ब्याज के मासिक किश्तों पर अथवा समिति के आदेश पर एकमुश्त चुकाने का वचन देता हूँ।

स्थान :
दिनांक : (हस्ताक्षर)

**नाम**

**पिता/पति का नाम**

# राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से मुक्त प्रतिज्ञा पत्र

मैं.............................................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.............................. ..........................आयु..............वर्ष निवासी.................................................. ने .. ............................................................ (कार्य) हेतु विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि0, जयपुर से ऋण लिया है तथा मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यह ऋण समिति द्वारा तय वार्षिक ब्याज की दर जो वर्तमान में...............% वार्षिक है, से निम्नांकित शर्तों के अनुसार अधिकतम 24 किश्तों में मय समस्त देय ब्याज राशि से चुका दूंगा/दूंगी। मेरे वेतन का प्रमाण–पत्र संलग्न है। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि :–

1. यदि मैं इस ऋण को उपरोक्त कार्य में व्यय न करूँ तो समिति समस्त राशि मय ब्याज के तुरन्त मांग सकती है।
2. समिति से एक माह का नोटिस मिलने पर जितना ऋण मेरी और शेष होगा, एक मुश्त चुका दूंगा/दूंगी।
3. यदि समिति को मेरी आर्थिक दशा बिगडने से अथवा और किसी कारण से हानि की संभवना हो तो बिना नोटिस दिये शेष ऋण की राशि ब्याज सहित मुझ से मांग सकती है जिसको एक मुश्त चुकाने में मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
4. मैं समिति को यह अधिकार भी देता/देती हूँ कि समिति की देय राशि समिति राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मेरे विभागीय अधिकारी अथवा डिस्बर्सिंग अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी) को लिख कर मुझे मिलने वले वेतन एवं भत्ते आदि से बाला–बाला कटवा ले। इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
5. मैं समिति को यह अधिकार देता/देती हूँ कि वह देय तिथि पर मेरे द्वारा ऋण चुकाने में असफल रहने पर या समिति के ऋण दोषी रहने की स्थिति में मेरी ओर समिति का ऋण, ब्याज व अन्य देय राशि जो भी बकाया है, वह मेरी चल–अचल सम्पत्ति से वसूली कर लें। इस संबंध में मेरे द्वारा या उत्तराधिकारी द्वारा कोई एतराज पेश किया जावे तो उसे वैध नहीं माना जावे।
6. मैं समिति को यह अधिकार देता /देती हूँ कि ऋण चुकाने हेतु मेरे द्वारा जारी चैक /ECS बैलेंस के अभाव में या अन्य किसी कारण से अप्रतिष्ठित(Dishonour) होने पर देय राशि का मय समस्त खर्चों सहित भुगतान वसूल करे, तथा बकाया राशि का चुकारा मेरे द्वारा नहीं किये जाने पर समस्त देय राशि मय हर्जे खर्चे सहित मेरी सम्पत्ति में से वसूल कर ली जावे। इस संबंध में मेरे द्वारा या उत्तराधिकारी द्वारा कोई एतराज पेश किया जावे तो उसे वैध नहीं माना जावे।

**गवाह :**

**1**

| | |
|---|---|
| **(हस्ताक्षर मय दिनांक)** | **( हस्ताक्षर आवेदक )** |
| **नाम** | **नाम :** |
| **पिता/पति का नाम** | **दिनांक :** |

**पता**

**2**
**(हस्ताक्षर मय दिनांक)**

**नाम**

**पिता/पति का नाम**

**पता**

**प्रत्याभूति–पत्र (Letter of Guarantee)**

हम श्री (1)........................................................................................................................(समिति सदस्य) एवं (2)........................................................................ ..............................................(समिति सदस्य अथवा राजसेवक परिषद सदस्य) उपरोक्त ऋणी श्री................................................................................ की ओर से एकल एवं संयुक्त रूप से जामिन है।

यदि ऋणी यह ऋण व उस पर देय ब्याज नही चुकायेगा अथवा उपरोक्त शर्तों में से किसी का पालन नहीं करेगा तो हम स्वयं चुकायेंगे व साथ में इस संबंध में ऋणी के अचरण से या ऋण वसूल करने के संबंध में समिति का कोई हर्जा खर्चा होता है तो उसे भी हम संयुक्त रूप से चुकायेंगे। अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि उपरोक्त ऋण के चुकाने की विधि और शर्तों में कोई परिवर्तन हो, तो उन सब शर्तों के परिवर्तन में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और हम उन शर्तों के परिवर्तन का पालन करेंगे तथा हमारी जमानत उसी प्रकार स्थिर रहेगी। जब तक सारा ऋण मय ब्याज चुक न जावे, इस ऋण का संपूर्ण दायित्व एकल एवं संयुक्त रूप से हम पर होगा। यदि इस मूल ऋण के पश्चात ऋणी द्वारा इस ऋण सीमा का पुनः उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी हमारी यह प्रत्याभूति प्रभावी रहेगी। अतः यह जमानतनामा लिख दिया ताकि प्रमाण रहे :–

1. हस्ताक्षर जामिन श्री.................................................................................................................... पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री....................................................
   ..........................................आयु..............वर्ष, निवासी........................................................................................................................................

2. हस्ताक्षर जामिन श्री.................................................................................................................... पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री....................................................
   ..........................................आयु...............वर्ष, निवासी.......................................................................................................................................

दिनांक : (हस्ताक्षर ऋणी)

नाम :